कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पोड़ीउपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

//आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना//

क0. 368 /स्था0/बापिरि./2026–27 पोड़ी उपरोड़ा ,दिनांक 07/10/2026

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्र-/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक /IT/830/2025&WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, परियोजना पोड़ीउपरोड़ा के अंर्तगत निम्नलिखित ग्राम पंचायत के ग्राम तथा पारे/टोले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये शर्तों के अधीन आवेदन पत्र **दिनांक** 19.10.26 **से** 03.11.2026 **तक** ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in/** मे पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध उपयोगकर्ता मेनुअल की सहायता ली जा सकती है।

सहायिका के पद हेतु					
क्र.	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम	केन्द्र का नाम	पद का नाम
1	2	3	4	5	6
1	पोड़ी उपरोड़ा	सरभोका	सरभोका	ललमट्टीपारा	सहायिका
2	पोड़ी उपरोड़ा	मानिकपुर	मानिकपुर	कोरकोटभावना	सहायिका
3	पोड़ी उपरोड़ा	कटोरीनगोई	कटोरीनगोई	पटेलपारा	सहायिका
4	पोड़ी उपरोड़ा	नवापारा	नवापारा	ललमटियापारा	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं –

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।
2. यह पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय है।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी।(एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी। (1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी।)। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. आवेदिका प्राथमिकता से उसी ग्राम की होनी चाहिये, जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है। आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगाः–

(क) उस ग्राम /नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें।

अथवा

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहनें का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हों।

टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास पत्र ही मान्य होगा।

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी –

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	**8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण**

6. आवेदन के साथ अंकसूची/प्रमाण पत्र सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है।
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों कां सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. विधवा एवं परित्यकता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदेश/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची से) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासन के पत्र क्रमांक/8513/आई.सी.डी.एस.–1/2020–21 नवा रायपुर दिनांक 15.01.2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को अतिरिक्त अंक देने के प्रावधान पर स्पश्ट मार्गदर्शन दिया गया है।
10. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं कियें जायेंगे।
12. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।
13. **आवेदन केवल ऑनलाईन पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ से ही स्वीकार किये जावेंगे।**

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पोड़ीउपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क./369/स्था0/बापिरि./2026–27 पोड़ी उपरोड़ा ,दिनांक 07/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोडी उपरोडा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. माननीय सभापति/सदस्य महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य समिति जनपद पोडी उपरोडा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत..... को सादर सूचनार्थ
6. संबंधित सेक्टरपर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना पोड़ी उपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पोड़ीउपरोड़ा, जिला–कोरबा (छ.ग.)